वज्रपात अर्लीवार्निंग प्रसारण
हेतु
मानक संचालन प्रक्रिया

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मानक संचालन प्रक्रिया

लेवल–1– मौसम विभाग द्वारा nowcast के रूप में वज्रपात/थण्डर स्टार्म के संभावित क्षेत्रों की जनपदवार जानकारी राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम तथा संबंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

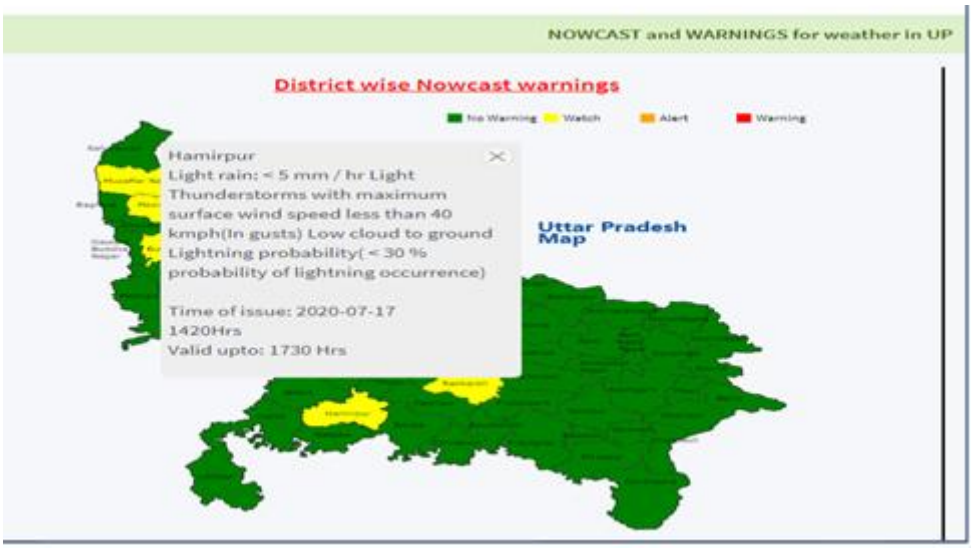

लेवल–2– राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, एस0पी0/एस0एस0पी0, मुख्य विकास अधिकारी तथा आपदा विशेषज्ञ को रियल टाइम में एस0एम0एस0, फोन तथा ई–मेल के माध्यम से सचेत किया जायेगा।

लेवल–3–

DDMA तथा राजस्व विभाग की कार्यवाही

- जनपद के आपदा विशेषज्ञ द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं ए0डी0एम0 (वि/रा) तथा सभी एस0डी0एम0 को सचेत किया जायेगा।
- ए0डी0एम0 (वि/रा) तथा सभी एस0डी0एम0 द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है तथा सभी तहसीलदारों को सचेत किया जायेगा।
- सभी तहसीलदारों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जाता है एवं संबंधित लेखपालों को सचेत किया जायेगा।
- लेखपालों द्वारा दामिनी एप को चेक किया जायेगा एवं अपने क्षेत्र के 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर समस्त ग्राम प्रधानों तथा पंचायत सचिव के माध्यम से ग्राम वासियों को सचेत किया जायेगा।

ग्राम विकास विभाग की कार्यवाही

- आपदा विशेषज्ञ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को सचेत किया जायेगा।
- जिला विकास अधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा।
- खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त 20 किमी0 में चेतावनी की स्थिति होने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को सचेत किया जायेगा।
- ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सभी ग्राम वासियों को सचेत किया जायेगा।

पुलिस विभाग की कार्यवाही

- आपदा विशेषज्ञ द्वारा एस0पी0/एस0एस0पी0 तथा सभी डी0एस0पी0 को सचेत किया जायेगा।
- डी0एस0पी0 द्वारा सभी एस0एच0ओ0 को सचेत किया जायेगा।
- एस0एच0ओ0 द्वारा दामिनी एप को चेक करने के उपरान्त संबंधित क्षेत्र की चौकियों तथा गांव में उपलब्ध पुलिस कर्मी के माध्यम से गांव वासियों को सेचत किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दु–

- पंचायत सचिव का यह दायित्व है कि अपने क्षेत्र में वज्रपात की चेतावनी उपलब्ध होने के उपरान्त गांव में माइकिंग/सायरन/मुनादी/लाउडस्पीकर के माध्यम से चेतावनी को अधिक से अधिक फैलाया जाय।
- पंचायत सचिव द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से सभी ग्राम वासियों को चेतावनी प्राप्त होने के उपरान्त ''क्या करें क्या न करें'' की जानकारी पहले से ही प्रदान की जानी चाहिये।
- गांव में स्थित पानी की टंकी पर लाइटनिंग कन्डक्टर/अरेस्टर लगाये जाने का कार्य संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जाना चाहिये जिससे कि पानी की टंकी के लगभग 100 मीटर के दायरे में वज्रपात से बचा जा सके।
- जनपदों में स्थित गौशालाओं में जहां प्रायः टीनशेड की छत होती है, में लाइटनिंग कन्डक्टर/अरेस्टर लगाये जाने का कार्य संबंधित विभाग के माध्यम से कराया जाना चाहिये जिससे कि पशुहानि को रोका जा सके।

अर्ली वार्निंग प्रसारण तंत्र– फ्लोचार्ट